संख्या-16/2020/4087/41-2019-78 (बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2020**

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मगहर महोत्सव के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4766/15-1-1286/टी0टी0/2019 दिनॉक-11.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संतकबीर नगर में मगहर महोत्सव-2019-20 के प्रस्तावित आयोजन हेतु रू० 40,00,000.00 (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके माध्यम से जिलाधिकारी, संतकबीरनगर के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जी रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित आयोजन हेतु मदवार व्यय का विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-197/2018/4120/41-2018-78 (बजट)/2017, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा मगहर महोत्सव के आयोजन हेतु निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का प्रामाणिक मदवार व्यय-विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरित लेखा परीक्षा के रिपोर्टो/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चत किया जायेगा ।

3- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के राजस्व लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-मगहर महोत्सव का आयोजन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- प्रस्तर-2 में अंकित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2018 बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-16/2020/4087(1)/41-2019-78 (बजट)/2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।
4- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in